क्रम-संख्या--28

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 16 जनवरी, 1979

पौष 26, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 150/सत्रह-वि0-1--114-78

लखनऊ, 16 जनवरी, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 15 जनवरी, 1979 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1979]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

(2) यह 5 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 16, सन् 1964 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

'(2-क) राज्य सरकार भी समय-समय पर निधि में ऐसी धनराशि का अंशदान कर सकती है जिसे वह उचित समझे।'

धारा 10 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 10 में, शब्द "निष्पादित किसी भी बन्धक" के पश्चात् शब्द "या सृजित किसी भी प्रभार" बढ़ा दिये जायेंगे और शब्द "उक्त बन्धक के निष्पादन" के पश्चात् शब्द "या प्रभार के सृजन" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के लिए अधिनियम के अधीन बेची गयी किसी सम्पत्ति को क्रय करना विधि पूर्ण होगा और ऐसा बैंक इस प्रकार क्रय की गयी सम्पत्ति को ऐसी अवधि के भीतर जो न्यासधारी द्वारा निश्चित की जाय, विक्रय करके निस्तारण करेगा।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(2-क) यदि बैंक को उपधारा (1) के अधीन अर्जित किसी भूमि को उसके विक्रय होने तक पट्टे पर देना हो तो पट्टे की अवधि एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी पट्टेदार उस सम्पत्ति में कोई अन्य हित अर्जित नहीं करेगा।"

धारा 16 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 16 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा" के स्थान पर शब्द "की गयी प्रभार की घोषणा या निष्पादित बन्धक विलेख द्वारा" रख दिये जायेंगे, और शब्द "बन्धक धन" के स्थान पर शब्द "बन्धक या प्रभार के अधीन बकाया धन" रख दिये जायेंगे, और शब्द "बन्धक ग्रस्त" के पश्चात् शब्द "या प्रभारित" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(4) जहां इस अधिनियम के अधीन बेची गयी कोई सम्पत्ति बन्धक या प्रभार करने वाले व्यक्ति के या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के, या किसी भूमि विकास बैंक या, राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में ऐसे बन्धक रखे जाने के या प्रभार सृजन के पश्चात् से हक का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अध्यासन में हो तो कलेक्टर क्रेता के प्रार्थना-पत्र पर ऐसे क्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को सम्पत्ति पर अध्यासित कराकर कब्जा दिये जाने का आदेश देगा।"

नई धारा 21-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

"21-क—राज्य सरकार किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, समस्त भूमिधरों को, चाहे वे अन्तरणीय अधिकार वाले हों या नहीं, और सरकारी पट्टेदारों को उनके खाते के अधीन धृत भूमि में, या ऐसी भूमि में किसी हित में, अन्तरण के अधिकार, जिसमें ऐसी भूमि या हित के सम्बन्ध में ऐसे बैंक के पक्ष में प्रभार या बन्धक करने का अधिकार भी सम्मिलित है, निहित कर सकती है, और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर ऐसे भूमिधर और सरकारी पट्टेदार को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा, ग्रान्ट या अन्य संलेख में किसी प्रतिकूल बात के, या किसी रूढ़ि या परम्परा के होते हुए भी, अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार अन्तरण का अधिकार होगा।"

अनन्तरणीय अधिकार वाले कृषकों को अन्तरणीय अधिकार निहित करना

धारा 22 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"22—सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में किसी भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में कोई प्रभार, गिरवी या बन्धक किया गया हो, प्रभार, गिरवी या बन्धककर्ता द्वारा तब तक बेची या अन्यथा अन्तरित नहीं की जायेगी जब तक कि उसके द्वारा भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक से लिए गये ऋण या अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि और उसके ब्याज का भुगतान बैंक को न कर दिया गया हो और इस धारा का उल्लंघन करके किया गया कोई संव्यवहार शून्य होगा:

बन्धकग्रस्त सम्पत्ति को पट्टे पर देने या उस पर अन्य अधिकार सृजित करने के बन्धककर्ता के अधिकार पर निर्बन्धन

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी सदस्य द्वारा उधार ली गयी धनराशि के किसी भाग का भुगतान कर कर दिया जाय तो उस सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर राज्य भूमि विकास बैंक या, यथास्थिति, राज्य भूमि विकास बैंक के अनुमोदन से भूमि विकास बैंक, सम्पत्ति या उसमें हित के ऐसे भाग को, जिसे वह उचित समझे, बैंक के पक्ष में सृजित या किये गये बन्धक, प्रभार या गिरवी से, सदस्य द्वारा देय शेष धनराशि की सुरक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हुए निर्मुक्त कर सकता है।"

धारा 23 के स्थान पर नई धारा 23 और 23-क का रखा जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:—

भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित लेख्यों का रजिस्ट्रीकरण

"23—(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी उधारकर्ता सदस्य द्वारा ऋण का प्रतिदान सुरक्षित करने के प्रयोजन के लिए भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित किसी भूमि या उसमें किसी हित या अन्य अचल सम्पत्ति पर प्रभार या बन्धक सृजित करने वाले विलेख को उसके निष्पादन के दिनांक से उक्त अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत समझा जायगा, बशर्ते बैंक, निष्पादन के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस लेख्य की जिसके द्वारा ऐसा प्रभार या बन्धक सृजित किया गया हो, एक प्रति जो बैंक की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किसी कर्मचारी द्वारा सम्यक् रूप से सही प्रति प्रमाणित की गयी हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राप्ति स्वीकार की रसीद के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के साथ, उस उप-रजिस्ट्रार के पास भेज दी गई हो, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रभारित या बंधक रखी गई सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसका कोई भाग स्थित हो और सम्बद्ध उप रजिस्ट्रार, यथास्थिति, ऐसी प्रति या प्रतियों को रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 51 के अधीन विहित पुस्तक संख्या 1 में नत्थी करेगा।

(2) जहां उप रजिस्ट्रार की राय हो कि उक्त लेख्य पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगाया गया है या उसमें आकस्मिक भूल या लोप से उत्पन्न कोई त्रुटि हो गयी है, वहां वह लेख्य की, यथास्थिति, प्रति या प्रतियां बैंक को वापस भेज कर उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह तीस दिन या ऐसी बढ़ाई अवधि के भीतर जिसकी अनुमति उप रजिस्ट्रार उस निमित्त दे, मूल प्रति पर स्टाम्प शुल्क की कमी को पूरा करे या त्रुटि को दूर करे। बैंक भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किसी बात के होते हुए भी, कमी को पूरा करायेगा या त्रुटि को दूर करायेगा।

(3) बैंक, यथास्थिति, स्टाम्प शुल्क की कमी पूरी होने या त्रुटि दूर होने के पश्चात् लेख्य की प्रति उपधारा (1) में निर्धारित रीति से उप रजिस्ट्रार के पास पुनः भेजेगा, और तदुपरान्त उप रजिस्ट्रार उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार पुस्तक संख्या 1 में उस प्रति को नत्थी करेगा।

(4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता सदस्य, न्यासधारी या भूमि विकास बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक के किसी अधिकारी के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह स्वयं या अभिकर्ता द्वारा किसी ऐसे संलेख के, जिसका निष्पादन उसने अपने अधिकारिक रूप में किया हो, रजिस्ट्रीकरण से सम्बद्ध किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित हो या उक्त अधिनियम की धारा 58 में किये गये उपबन्ध के अनुसार हस्ताक्षर करे।

प्रभार या बन्धक अंकित करने के लिये राजस्व रजिस्टर—

23-क—जहां प्रभार या बन्धक का सृजन करने वाले लेख्य की प्रति धारा 23 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए भेज दी गयी हो, वहां बैंक ऐसे लेख्य की एक प्रति तहसीलदार या ऐसे अन्य पदधारी को भी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किया जाय, भेजेगा। तहसीलदार या अन्य पदधारी ऐसे प्रभार या बन्धक का विवरण इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में अंकित करेगा। रजिस्टर ऐसे प्रपत्र में होगा और उसका निरीक्षण करने की अनुमति और उसकी प्रतियां या उससे उद्धरण ऐसी रीति से और ऐसा शुल्क देने पर दिये जायेंगे जो नियत किये जायें।"

धारा 24 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

मण्डल द्वारा कतिपय अधिकारों का प्रतिनिधान

"24—यदि मण्डल उचित समझे तो वह इस अधिनियम की धारा 16, 18 और 21 के अधीन अपने सभी या किन्हीं अधिकारों को बैंक के किसी एक या अधिक अधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकता है।"

धारा 30 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, अन्त में शब्द "जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस नियत करने का कोई नियम भी है," बढ़ा दिये जायेंगे और सदैव से बढ़ाये गये समझे जायेंगे।

निरसन और अपवाद

11—(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 150 (2) /XVII-V—1-114-1979

Dated Lucknow, January 16, 1979

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahkari Bhoomi Vikas Bank (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1979)', as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 15, 1979 :

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE LAND DEVELOPMENT BANKS (SECOND AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act No. 3 of 1979]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India as follows :

Short title. and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Second Amendment) Act, 1978.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 5, 1978.

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 16 of 1964.

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks Act, 1964, hereinafter referred to as the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2-A) The State Government may also contribute to the fund from time to time such amount as it may deem fit."

Amendment of section 10.

3. In section 10 of the principal Act, *after* the words "mortgage executed" the words "or charge created" shall be *inserted* and *after* the words "execution of such mortgage" the words "or creation of such charge" shall be *inserted*.

Amendment of section 11.

4. In section 11 of the principal Act,—

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, it shall be lawful for a land development bank or the State Land Development Bank to purchase any property sold under this Act and the property so purchased shall be disposed of by such Bank by sale within such period as may be fixed by the Trustee.";

(*b*) *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2-A) If the bank has to lease out any land acquired by it under sub-section (1) pending sale thereof, the period of lease shall not exceed one year at a time and the lessee shall not acquire any other interest in that property, notwithstanding any provisions to the contrary in any other law for the time being in force."

Amendment of section 16.

5. In section 16 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "by mortgage deed", the words "by a declaration of charge made or mortgage deed" shall be *substituted* and *for* the words "mortgage money" the words "money due under the mortgage or charge" shall be *substituted*, and *for* the words "to bring the mortgaged property to sale" the words "to bring the property subject to any mortgage or charge to sale" shall be *substituted*.

(*b*) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(4) Where any property sold under this Act is in the occupancy of any person creating mortgage or charge, or of some person on his behalf, or of some person claiming title subsequent to the creation of such mortgage or charge in favour of a land development bank or the State Land Development Bank, the Collector shall, on the application of the purchaser, order delivery to be made by putting such purchaser or any person appointed by him in this behalf, in possession of the property."

Insertion of new section 21-A.

6. *After* section 21 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"21-A. The State Government may, by notification vest, subject to such restriction as may be specified in the notification, all Bhumidhars whether with transferable rights or not and the Government lessees, with rights of alienation in land held under their tenure or any interest in such land including the right to create a charge or mortgage on such land or interest in favour of a land development bank or the State Land Development Bank for the purpose of obtaining loan from such banks, and upon the issue of such notification, such Bhumidhar and Government lessees shall, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force or any contract, grant or other instrument to the contrary or any custom or tradition, have a right of alienation in accordance with the terms of notification."

Vesting of right of alienation on agriculturists not having such rights.

Substitution of section 22.

7. *For* section 22 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"22. Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882, or any other law for the time being in force no property in respect of which a charge, hypothecation or mortgage has been made in favour of a land development bank or the State Land Development Bank shall be sold or otherwise transferred by the person making the charge, hypothecation or mortgage until the entire amount of loan or advance taken by him from the land development bank or the State Land Development Bank together with interest thereon is paid to the bank and any transaction made in contravention of this section shall be void :

Restrictions on mortgagors power to lease or to create other rights in the mortgaged and charged property.

Provided that, if a part of the amount borrowed by a member is paid, the State Land Development Bank, or as the case may be, the land development bank with the approval of the State Land Development Bank, may, on application from the member release from the mortgage, charge or hypothecation created or made in favour of the bank, such part of the property or interest therein as it may deem proper with due regard to the security of the balance of the amount remaining outstanding from the member."

Substitution of new sections 23 and 23-A for section 23.

8. *For* section 23 of the principal Act, the following sections shall be *substituted*, namely:—

"23.(1) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, or any other law for the time being in force, a deed creating charge or mortgage in any land or interest therein or in other immovable property, executed by a borrower member in favour of a land development bank or the State Land Development Bank for the purpose of securing repayment of loan, shall be deemed to have been duly registered in accordance with that Act with effect from the date of the execution provided the bank has sent to the Sub-Registrar within the local limits of

Registration of documents executed in favour of land development bank or the State Land Development Bank.

whose jurisdiction the whole or any part of the property charged, or mortgaged is situate, within a period of three months from the date of execution, by registered post or hand delivery under acknowledgement, a copy of the document creating such charge or mortgage duly certified to be a true copy by any employee of the bank authorised to sign on its behalf and the Sub-Registrar concerned shall file such copy or copies, as the case may be, in his Book no. 1 prescribed under section 51 of the Registration Act, 1908.

(2) Where the Sub-Registrar is of the opinion that the said document is not duly stamped or that it suffers from any defect arising out of accidental slip or omission, he shall send back the copy or copies, as the case may be, of the document to the bank requiring it to get the deficiency in stamp duty made good on the original or to get the defect removed within thirty days or within such extended time as the Sub-Registrar may allow in that behalf. The bank shall get the deficiency made good or the defect removed, notwithstanding anything contained in the Indian Stamps Act, 1899.

(3) After the deficiency in stamp duty has been made good or as the case may be, the defect has been removed, the bank shall send the copy of the document again to the Sub-Registrar in the manner laid down in sub-section (1), and thereupon the Sub-Registrar shall file the copy in Book no. 1 in accordance with the provisions of sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in the Registration Act, 1908, it shall not be necessary for the borrower member, the Trustee or for any officer of a land development bank or of the State Land Development Bank to appear in person or by agent at any registration office in any proceedings connected with the registration of any instrument executed by him in his official capacity or to sign as provided in section 58 of the said Act.

Revenue register for noting charge or mortgage.

23-A. Where a copy of the document creating charge, or mortgage has been sent for registration under section 23, the bank shall also send a copy of such document to the Tahsildar or such other official as may be designated in this behalf by the State Government. The Tahsildar or other official shall make a note of the particulars of such charge, or mortgage in a register maintained for this purpose. The register shall be in such form and inspection thereof shall be allowed and copies of extracts therefrom issued in such manner and on payment of such fee as may be prescribed."

Substitution of section 24.

9. *For* section 24 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

Delegation of certain powers by Board.

"24. The Board may, if it thinks fit, delegate all or any of its powers under sections 16, 18 and 21 of this Act to any one or more of the officers of the Bank."

Amendment of section 30.

10. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1), the words "including any rules prescribing fees in respect of any proceedings under this Act" shall be inserted at the end and be deemed always to have been so *inserted*.

Repeal and saving.

11. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Land Development Banks (Second Amendment) Ordinance, 1978, is hereby repealed. U.P. Ordinance 20 of 1978

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 365 सा० (विधा०)—16-1-79—(3489)—1979—750 (मेक०)।